



मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक: 30.06.2026

थाना चुनार पुलिस द्वारा गोवध निवारण एवं पशु क्रूरता अधिनियम के अभियोग से सम्बन्धित ₹ 25 हजार का इनामियाँ अभियुक्त गिरफ्तार —

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा गो-तस्करी में संलग्न अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सहित इनामियाँ अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में थाना चुनार पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांक: 30.06.2026 को थाना चुनार पर पंजीकृत मु0अ0सं0-04/2026 धारा 61(2) बीएनएस व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व व 11 पशु क्रूरता अधि0 से सम्बन्धित ₹25 हजार के इनामियाँ वांछित अभियुक्त मुकद्वर शाह पुत्र रफीउल्लाह शाह मूल निवासी बसिला नसीरपुर थाना चन्दौली जिला चन्दौली हालपता डाक बंगला रोड वार्ड नं 05 लोकमान्य तिलक नगर कस्बा चन्दौली थाना चन्दौली जिला चन्दौली को रेलवे स्टेशन हाइवे साइड के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार इनामियाँ अभियुक्त —

मुकद्वर शाह पुत्र रफीउल्लाह शाह मूल निवासी बसिला नसीरपुर थाना चन्दौली जिला चन्दौली हालपता डाक बंगला रोड वार्ड नं 05 लोकमान्य तिलक नगर कस्बा चन्दौली थाना चन्दौली जिला चन्दौली, उम्र करीब 41 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0- 04/2026 धारा 61(2) बीएनएस व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना चुनार जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम — निरीक्षक विजय शंकर सिंह, प्रभारी निरीक्षक चुनार मय पुलिस टीम।

